2611

प्रकरण संख्याः— 30/2020

बजरंग बनाम घनश्याम वगैरहा

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
9/1/26	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। तहसीलदार भीलवाड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार करने हेतु वादी अधिवक्ता द्वारा गत पेशी दिनांक 04.12.2025 को अपनी सहमती आदेशिका पर अंकित कर दी गई थी। प्रतिवादी के बाद तामिल नोटिस अनुपस्थित रहने से दिनांक 15.03.2024 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाकर वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 53— 54 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि का विभाजन किये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से अनुसार पारित की गई थी तथा तहसीलदार भीलवाड़ा को हक हिस्से एवं मिट्स एण्ड बाउण्डस के अनुसार विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु दिनांक 15.03.2024 आदेशित किया गया था। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव क्रमांक भूअ/2025/3494 दिनांक 31.10.2025 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा कार्यालय के पत्रांक एलआर/25/3455 दिनांक 28.10.2025 से सूचना पत्र समस्त पक्षकारान् को जारी किया गया। सूचना पत्र पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर है। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव में मौके पर वादी एवं प्रतिवादी उपस्थित रहे। प्रतिवादीगण को विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त दो अवसर दिये गये, परन्तु प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने से प्रतिवादीगण की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/आक्षेप बाबत् विभाजन प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए। विभाजन प्रस्ताव पर समूचित अवसर दिये जाने के उपरान्त भी किसी प्रकार की आपत्ति/आक्षेप प्राप्त नहीं होने से तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। निर्णय की अनुपालना में अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो। 9/1/26 सहायक कलक्टर भीलवाड़ा	

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. बजरंग सिंह पुत्र निर्भय सिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी आंबा खेड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा –वादी

बनाम

1. घनश्याम सिंह पुत्र चावण्ड सिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी आबा खेड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. धन सिंह पुत्र चावण्ड सिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी आबा खेड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. बेबी कंवर पुत्री चावण्ड सिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी आबा खेड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. अनू कंवर पुत्री चावण्ड सिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी आबा खेड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. शिव कंवर पत्नी चावण्ड सिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी आबा खेड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. प्रहलाद सिंह पुत्र निर्भय सिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी आबा खेड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. भगवत सिंह पुत्र निर्भय सिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी आबा खेड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
8. श्रवण सिंह पु निर्भय सिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी आबा खेड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
9. भंवर कंवर पुत्री निर्भय सिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी आबा खेड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
10. मंजू कंवर पुत्री निर्भय सिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी आबा खेड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
11. रघूवीर सिंह पुत्र नेपाल सिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी आबा खेड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
12. शम्भू सिंह पुत्र राम सिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी आबा खेड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
13. बी.आर.जी.बी. बैंक जरिये प्रबन्धक, शाखा कारोईकलां तह0 एंव जिला भीलवाड़ा
14. राजस्थान राज्य ज़रिये तहसीलदार, भीलवाड़ा

– प्रतिवादीगण

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 54 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

प्रकरण संख्या 30/2020 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार जोशी उपस्थित – इस वाद में आज तारीख 09.01.2026 को पीठासीन अधिकारी अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है–

9/1/26

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव पर वादी एवं प्रतिवादीगण को समूचित अवसर दिये जाने के उपरान्त भी किसी प्रकार की आपत्ति/आक्षेप प्राप्त नहीं होने से तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

3/1/26

(अरूण कुमार जैन)

सहायक कलक्टर

भीलवाड़ा